नम्बर व ता...
अहकाम जो इस हु...
की तारीख में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 27/2020/दावा 136 एलआरएक्ट

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व.छीतरमल जाति बलाई निवासी मण्डा(सुरेरा) तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार (भूमिधारी) जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति—

1. श्री जितेन्द्र डाणियां वकील प्रार्थी की ओर सें।

नि र्ण य दिनांक — **18.12.2020**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 986 रकबा 2.4000 है0 किता 1 कुल रकबा 2.4000 है0 वाके ग्राम मण्ढ़ा—सुरेरा तहसील दांतारामगढ0 वाके ग्राम मण्ढ़ा—सुरेरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें प्रार्थी/आवेदक का हक, हिस्सा 5/48 कब्जे, काश्त व खातेदारीशुदा है। प्रार्थी/आवेदक का नाम सही व वास्तविक रूप से "सुरेन्द्र कुमार पुत्र छीतरमल" है जो सही है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी/आवेदक के उक्त हक, हिस्से 5/48 की खातेदारी सुरेश पुत्र छीतर के नाम से दर्ज है अर्थात राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी/आवेदक का नाम गलत रूप से दर्ज हो रखा है। उक्त भूमियों पर प्रार्थी का हक, हिस्से 5/48 पर काबिज, काश्त है। प्रार्थी/आवेदक के विद्यालय रिकार्ड, मतदाता पहचान—पत्र भामाशाह कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पासपोर्ट ड्राईविंग लाईसेंस एवं अन्य समस्त रिकार्ड में आवेदक का सही नाम "सुरेन्द्र कुमार पुत्र छींतरमल" ही दर्ज है जो सही है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में केवल मात्र खाता संख्या 99 की कृषि भूमि खसरा नं.

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

986 तन ग्राम मण्ढा(सुरेरा) में प्रार्थी/आवेदक का नाम गलत रूप से दर्ज है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी/आवेदक कई बार–बार अप्रार्थी एवं अन्य सम्बधित अधिकारियों व कर्मचारियों से अपने नाम को संशोधित करवाने हेतु निवेदन कर चुका है परन्तु आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। मुताबिक अन्य रिकार्ड प्रार्थी/आवेदक के नाम को दुरूस्त कर सही रूप से दर्ज किया जाना न्याय संगत है। वाद कारण अरसा करीब 10–12 रोज पूर्व अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा प्रार्थी/आवेदक का नाम दुरूस्त करने से इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ जो कि क्षण–प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर विवादित भूमि खसरा नम्बर 986 रकबा 2.4000 है0 किता 1 कुल रकबा 2.4000 है0 वाके ग्राम मण्ढ़ा–सुरेरा तहसील दांतारामगढ0 वाके ग्राम मण्ढ़ा–सुरेरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में प्रार्थी का नाम सुरेश पुत्र छीतर के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र छींतर दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि प्रार्थी का नाम सुरेश पुत्र छीतर के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र छींतरमल दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

है कि ग्राम मण्ढा--सुरेरा के खसरा नम्बर 986 में आवेदक की खातेदारी सुरेश पुत्र छीतर हिस्सा 5/48 जाति बलाई सा.देह खातेदार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी 2076–2079 में दर्ज है। आवेदक के द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों में राशनकार्ड, आधार कार्ड भामाशाह कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पहचान–पत्र, पासपोर्ट एवं 10 वीं की अंकतालिका में आवेदक का नाम सुरेन्द्र पुत्र छीतरमल दर्ज है। मौके पर उपस्थित गौत विरानों से पूछताछ करने पर बताया कि सुरेश व सुरेन्द्र दोनों नामों से पुकारा जाता है। रिपोर्ट पटवारी अनुसार सुरेन्द्र पुत्र छीतरमल किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य है। **प्रार्थी का आवेदन धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर** नम्बर 986 रकबा 2.4000 है0 किता 1 कुल रकबा 2.4000 है0 वाके ग्राम मण्ढ़ा–सुरेरा तहसील दांतारामगढ0 वाके ग्राम मण्ढ़ा–सुरेरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर **में दर्ज प्रार्थी का नाम सुरेश के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम सुरेश उर्फ सुरेन्द्र कुमार पुत्र छितरमल दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ